



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 03.04.2026

“अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया हत्यारा”

जनपद में शान्ति और कानून का राज कायम रखने के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस, एसओजी व इंटेलेजेंस विंग की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के अभियोग में वांछित पचास हजार रुपये के इनामिया अपराधी को घायल कर किया गया गिरफ्तार व कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामदा

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.03.2026 को शाम 17.00 बजे ग्राम कौंडेखा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर में मिथलेश पत्नी जयसिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासिनी कौंडेखा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर की हत्या अभियुक्त सोनू यादव उर्फ अनूप पुत्र मनबोधन निवासी कौंडेखा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा चाकू मारकर जघन्य हत्या की गयी थी, जिस सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री जयसिंह उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व0 रामलाल निवासी ग्राम कौंडेखा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 103(1) BNS बनाम 1. सोनू यादव पुत्र मनबोधन निवासी कौंडेखा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर 2.शाहिद पुत्र लल्लू निवासी अलादातपुर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर के पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू यादव उर्फ अनूप पुत्र मनबोधन निवासी कौंडेखा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि शाहिद पुत्र लल्लू उपरोक्त को दिनांक - 29.03.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 99/26 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सोनू यादव की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। कि दिनांक 02.04.2026 को रात्रि 22:25 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर मय हमराह फोर्स, इंटेलेजेंस विंग एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 99/26 धारा 103(1), बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सोनू यादव की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश के दौरान चौफेरवा एनटीपीसी पावर हाउस के सामने जंगल में अभियुक्त के छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कांबिंग व सर्च अभियान चलाकर घेराबंदी का प्रयास किया गया तो अभियुक्त सोनू यादव द्वारा पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर किया गया, आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त सोनू यादव के दोनों पैरों

में गोली लगने से घायल हो गया जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुये मु0अ0सं0 116/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सोनू यादव पुत्र मनबोधन निवासी कौंडेरवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक देशी तमंचा 315 बोर
2. दो खोखा कारतूस 315 बोर
3. एक जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुत्र मनबोधन का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 103(1)/61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 100/2025 धारा 281/125ए/125बी/106 BNS थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 128/2021 धारा 307/366/376-D IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 47/2026 धारा 67 आईटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

टीम-1. निरीक्षक श्री हेमंत कुमार मिश्रा प्रभारी थाना कोतवाली मय टीम

टीम-2. उ0नि0 श्री विनोद मिश्रा प्रभारी इंटेलेजेन्स विंग मय टीम

टीम-3. उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह एस0ओ0जी0 मय टीम

